

अलवर (राज०)

14/10/19

वकील कादी अप्रवकील कादी को प्रतिवादी की तस्वीर हेतु तस्वीर पेश कहे हेतु दि० 20/12/18, 24/9/19 को आदेशित किया गया लेकिन वकील कादी ने तस्वीर हेतु तस्वीर पेश नहीं किया वकील कादी के प्रतिवादी की तस्वीर हेतु तस्वीर पेश कहे हेतु दि० 26/9/19 को न्यायालय में अतिरिक्त अपरसर दिये जाने के उपरान्त भी कादी ने तस्वीर पेश नहीं किया अतः वाद कादी अन्तर्गत धारा 09 R 5 P L के तहत अयुक्तकमीति (NON-compliance) में खारिज किया जाये है पञ्जाबी नाम से कक डेकर काद तकमील दायित्व दफ्तर हो। (सुनाया गया)

2017
185
पवन कुमार

सहायक क्लर्क
अलवर (राज०)